

01.11.2021


प्रार्थी रामनिवास पुत्र शिवाराम जाति देवासी निवासी माराजानगर तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प झाक में धारा-88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माराजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 951 रकबा 0.7038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1051/1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.8899 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956/1 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/8 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958/1 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958/2 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 969/7 रकबा 3.6405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 961 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 962 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 963/1 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863/1 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/10 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/3 रकबा 3.5192 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/9 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 955/1 रकबा 0.5097 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956/2 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958 रकबा 1.0679 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता शिवाराम पुत्र जोगाराम की थी। शिवाराम का देहान्त सन् 2013 में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 72, 73, 64, 65, 66, 67, 68 स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम रामनिवास के बजाय दलाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामनिवास है तथा सरकारी दस्तावेज भी रामनिवास के नाम से जारी किये हुए हैं अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में दलाराम पुत्र शिवाराम के स्थान पर रामनिवास पुत्र शिवाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी रामनिवास ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी रामनिवास के आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बोर्ड प्रमाण पत्र सन् 2015 आदि पेश किये हैं। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत झाक द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में दलाराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

21

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दरवातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम रामनिवास के बजाय दलाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम माराजानगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 951 रकबा 0.7038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1051/1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.8899 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956/1 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/8 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958/1 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958/2 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 969/7 रकबा 3.6405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 961 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 962 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 963/1 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863/1 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/10 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/3 रकबा 3.5192 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/9 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 955/1 रकबा 0.5097 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956/2 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958 रकबा 1.0679 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में दलाराम पुत्र शिवाराम के स्थान पर रामनिवास पुत्र शिवाराम जाति राईका निवासी माराजानगर तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम झाक में खुले में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
बिलाड़ा
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा



अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी विलाड़ा कैम्प झाक
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
रामनिवास पुत्र शिवाराम जाति राईका निवासी माराजानगर तहसील बिलाड़ा		01 श्रीमती पुखली पत्नी शिवाराम जाति राईका निवासी माराजानगर तहसील बिलाड़ा 02 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा


दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 133/2021

निर्णय

दिनांक :- 01.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं, प्रतिवादी संख्या-2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि ग्राम माराजानगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 951 रकबा 0.7038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1051/1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.8899 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956/1 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/8 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958/1 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958/2 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 969/7 रकबा 3.6405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 961 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 962 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 963/1 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863/1 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/10 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/3 रकबा 3.5192 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 953/9 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 955/1 रकबा 0.5097 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 956/2 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958 रकबा 1.0679 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में दलाराम पुत्र शिवाराम के स्थान पर रामनिवास पुत्र शिवाराम जाति राईका निवासी माराजानगर तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।



(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिंग - बाबत् -
खर्चा इस मुकदमे के मुय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख
वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख
01.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	वैसे	मुदायराह	रूपया	वैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुकमनामा			बाबत् हुराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये
दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा